प्रेस नोट दिनांक 15.08.2025

जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 15.08.2025

थाना मानिकपुर

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अवैध तमन्चा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों के पास थाना मानिकपुर के मुकदमें से सम्बन्धित छिनैती का एक एंड्राइड़ रियलमी मोबाइल फोन बरामद किया गया व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्तों को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गहनेरू बाग जाने वाले रास्ते पर, सतभईयन मजार मोड के पास के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में प्र0नि0 श्री दीपनारायण मय हमराह उ0नि0 श्री शिशिर पटेल, का0 घनश्याम प्रसाद, का0 दिलीप कुमार, का0 मनीष मौर्या व म0का0 किरन बिन्द चालक का० जयनारायण द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों को दिनांक 14.08.2025 को एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद् अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ 1.संतोष पटेल पुत्र सदाशिव पटेल उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बरगदहा मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष व 2. राजपत पटेल उर्फ बब्बू पुत्र लल्लू पटेल निवासी ग्राम बरगदहा मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद

प्रतापगढ़ उम्रकरीब 23 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गहनेरू बाग जाने वाले रास्ते पर, सतभईयन मजार मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 159/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संतोष पटेल पुत्र सदाशिव पटेल उर्फ मुन्नू निवासी ग्राम बरगदहा मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

2. राजपत पटेल उर्फ बब्बू पुत्र लल्लू पटेल निवासी ग्राम बरगदहा मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्रकरीब 23 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभिुक्तगण पूछने पर बता रहे है कि हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से राहगीरों का फोन छीन कर भाग जाते हैं। छीन कर भागते समय यदि कोई पीछा करता है तो अपनी बचत के लिए इस तमंचे को दिखाकर डरा धमकाकर भाग जाते है। पूछने पर दोनो व्यक्ति संयुक्त रूप से बता रहे है कि हम लोगो ने इसी काले रंग की हीरो स्पेलन्डर प्लस मोटरसाइकिल नम्बर यूपी 72 सीसी 2832 से दिनांक 21.07.2025 को समय सुबह 10.30 से 11 बजे के बीच यह फोन मुन्दीपुर के पास स्कूटी के पास बात करते समय एक लड़की से छीन कर भाग गये थे। उक्त मोबाइल फोन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/25 धारा 304 बी0एन0एस0 से संबंधित छीना गया फोन है। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगी-

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद् अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर (अलग अलग अभियुक्तगण से) ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्र0नि0 श्री दीपनारायण मय हमराह उ0नि0 श्री शिशिर पटेल, का0 घनश्याम प्रसाद, का0 दिलीप कुमार, का0 मनीष मौर्या व म0का0 किरन बिन्द चालक का० जयनारायण थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 15.08.2025

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मान्धाता के आरक्षी मनीष यादव ने थाना देल्हूपुर के मुकदमें में वांछित 01 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिंकजा

आरक्षी मनीष यादव ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मान्धाता के आरक्षी मनीष यादव को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर संगठित तरीके से साजिश हत्या का प्रयास व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं

आरक्षी मनीष यादव के सहयोग से थाना मान्धाता पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना मान्धाता के बहादुर आरक्षी मनीष यादव के सहयोग से दिनांक 15.08.2025 को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 59/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना देल्हूपुर में 01 वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) अरुण उर्फ बन्टु पुत्र लल्लन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम दिवैनी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता अंतर्गत पनियारी बाजार टेम्पू स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरुण उर्फ बन्टु पुत्र लल्लन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम दिवैनी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

आपराधिक इतिहास-

(गैंग सदस्य) अरुण उर्फ बन्टु पुत्र लल्लन उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम दिवैनी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास ।

1. मु0अ0सं0 27/25 धारा 192(2), 191(3), 117(2), 190, 115(2), 352, 351(3), 333, 131, 109(1), 288, 324(5) बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 59/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि0-15.08.2025

थाना उदयपुर,जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01अभियुक्त को मंगापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण व थाना उदयपुर प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह का0 अनिल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (2)M,65(1) बीएनएस व 5 (J) (ii)/L/6 पाक्सो एक्ट व 3 (2) SC/ST ACT से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सौरभ सरोज पुत्र राजू सरोज नि०ग्रा० गोसाई का मठिया मजरा रेहुआलालगंज

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत मंगापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सौरभ सरोज पुत्र राजू सरोज नि०ग्रा० गोसाई का मठिया मजरा रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह का0 अनिल कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस-नोट दि0-15.08.2025

थाना-रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस को बड़ी सफलता – चोरी के अभियुक्त/बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार 01अभियुक्त व 01बाल अपचारी के कब्जे से चोरी की 01 चैन पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, कान की 01 जोड़ी टप्स पीली धातु, 01अंगूठी पीली धातु, 01 सफेद धातु की बिछिया व 120/-रूपये नगद बरामद

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कलीपुर मैनहा से गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिये गये-

घटना का विवरण-

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत गांव कलीपुर मैनहा से वादिनी के घर से आरोपीगणों द्वारा आभूषण चोरी कर लेने के प्रकरण में थाना रानीगंज पर वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 276/2025 धारा 305/352 बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कामता प्रसाद मय हमराह का० रुद्राश चौबे, का० योगेन्द्र यादव द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन, तलाश वाछिंत व सक्रिय अपराधी, पेन्डिग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पर मु0अ0स0 276/2025 धारा 305/352 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त विजय सिंह पुत्र स्व० अशोक सिंह निवासी ग्राम कलीपुर मैनहा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ व 01 बालअपचारी को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कलीपुर मैनहा से गिरफ्तार/पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 चैन पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, कान की 01 जोड़ी टप्स पीली धातु, 01अंगूठी पीली धातु, 01 सफेद धातु की बिछिया व 120/-रूपये नगद बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01 अभियुक्त विजय सिंह पुत्र स्व० अशोक सिंह निवासी ग्राम कलीपुर मैनहा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

01 बालअपचारी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह चैन मेरे बेटे ने दिनांक 06.08.2025 को वादिनी ग्राम कलीपुर मैनका के घर से चुराया था। जिसमें से सोने की चेन मैने उससे बेचने के लिए ले लिया था जिसे मैं आज बेचने के लिए निकला था की आप लोगो के द्वारा पकड लिया गया। तथा बाकी समान उसी के पास होगा। मैं गरीब आदमी हूँ तथा मैं नशे का आदी इसी नशे की लत में मैं अपने लड़के से छोटी मोटी चोरिया करवाकर उससे जो पैसा मिलता उससे अपने नशे की लत व शौक मौज को पूरा करता हूँ।

बरामदगी

01 चैन पीली धातु, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, कान की 01 जोड़ी टप्स पीली धातु, 01अंगूठी पीली धातु, 01 सफेद धातु की बिछिया व 120/-रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 कामता प्रसाद मय हमराह का० रुद्राश चौबे, का० योगेन्द्र यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 15.08.2025

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मवई बाईपास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगण द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जाली एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर एवं धोखाधड़ी के माध्यम से बुलेट मोटर साइकिल वादी को बेच देने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक- 04.08.2025 को थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 - 221/2025 धारा - 319 (2)/318 (4)/338/336(3)/340 (2) बीएनएस बनाम 01 नामजद पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा मय हमराह का० विशाल मौर्या, का0 विवेक कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 - 221/2025 धारा- 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त वकील पुत्र मो0 इस्लाम निवासी अत्तानगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत मवई बाईपास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

अभियुक्त वकील पुत्र मो0 इस्लाम निवासी अत्तानगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 निर्मल कुमार शर्मा, मय हमराह का० विशाल मौर्या, का0 विवेक कुमार यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।